# बिहार सरकार
## पथ निर्माण विभाग

### अधिसूचना

अधि0सं0– निग / सारा–1 (पथ)–आरोप–37 / 2021 4263(S) पटना, दिनांक 22/6/28

श्री राजेन्द्र मांझी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–31.01.2020) से उक्त पदस्थापन अवधि में बड़हिया–मिनी–बाईपास पथ के कुल 0.80 कि०मी० पथांश में विविध कार्य, ड्रेन कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य एवं साधारण मरम्मति कार्य सहित पी०सी०सी० कार्य में पायी गयी त्रुटियों / अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक–9714 (एस) दिनांक 20.12.2018 एवं बाद के स्मार पत्रों के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री मांझी ने पत्रांक–शून्य, दिनांक 27.10.2020 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत इसे संतोषजनक नहीं पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5895 (एस), दिनांक 07.12.2021 के द्वारा उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में आरोप के बिन्दु निम्नवत है :–

(i) पथ के Ch 0+000से Ch 0+700 तक के अधिकांश भाग के पथ सतह पर खुरदरापन / Scaling पाया गया एवं लगभग Ch 0+550 पर Longitudinal Joint के पास पथ परत लभगग $1m^2$ area में break होकर टूटा हुआ पाया गया।

(ii) पथ के Ch 0+700सेCh 0+800तक पथ परत का उपरी सतह LHS के अधिकांश भाग में क्षतिग्रस्त पाया गया एवं RHS में पथ सतह पर खुरदरापन / Scaling पाया गया।

(iii) Construction joint, Expansion joint एवं Longitudinal joint के गैप को filler material से भरा हुआ नहीं पाया गया।

(iv) पथ के Ch 0+550सेCh 0+750तक में लभगग 50मी० की लंबाई में Draincover किया हुआ नहीं पाया गया। साथ ही उक्त पथ में कराये गये Drain Cover का कार्य Proper levellingनहीं किये जाने के कारण Drain क्रियाशील स्थिति में नहीं पाया गया।

(v) आलोच्य पथ के PQCकार्य की मुटाई प्रावधान (300mm) से कम 251.41mmपाया गया।

(vi) आलोच्य पथ के PQC कार्य की average equivalent cubical compressive strength of core 140.89 $kg/cm^2$ पाया गया।

2. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक--1050 अनु०, दिनांक 06.09.2022 से विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप संख्या–(ii), (iii) एवं (v) को प्रमाणित एवं शेष आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में विभागीय पत्रांक–2605 (एस) दिनांक 12.05.2023 के द्वारा श्री मांझी से लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी।

3. श्री मांझी ने पत्रांक–शून्य, दिनांक 11.07.2023 के द्वारा अपना द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया, जिसमें आरोप संख्या–(ii) के संबंध में कोई ठोस तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के आलोक में विभागीय समीक्षा के क्रम में इसे अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। जबकि आरोप संख्या–(iii) के संबंध में श्री मांझी द्वारा Construction Joint, Expansion Joint एवं Longitudinal Joint में Filler Material का नहीं पाये जाने का कारण बरसात का मौसम बताया

कृ०पृ०उ०

आई० टी० मैनेजर

गया है। बरसात में Joints से Filler Material में आंशिक रूप से क्षरण हो सकता है। अतः आरोप को विभागीय समीक्षा के क्रम में इस हद तक प्रमाणित माना गया है।

इसी तरह आरोप संख्या–(v) को संचालन पदाधिकारी ने प्रमाणित प्रतिवेदित किया है, जिसके संबंध में आरोपी पदाधिकारी ने कोई ठोस तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–04 द्वारा 1st कि०मी० में 3 Section पर कुल 09 (नौ) बिन्दुओं पर Thickness का Measurement किया गया है एवं सभी बिन्दुओं पर Cement, Concrete Pavement का Thickness प्रावधानित Thickness से कम पाया गया है। अतः आरोप संख्या–(v) को भी विभागीय समीक्षा के क्रम में प्रमाणित पाया गया है।

4. मामले की सम्यक समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में सक्षम प्राधिकार के स्तर से श्री राजेन्द्र मांझी के द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर पत्रांक–शून्य, दिनांक 11.07.2023 को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत **"तीन वर्षो के लिए 05% पेंशन की कटौती"** का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. श्री मांझी ने उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक–18.06.2025 समर्पित किया है। श्री मांझी के पुनर्विचार अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत पुनः तीनों आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। अतः श्री राजेन्द्र मांझी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को सम्यक समीक्षोपरांत अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

ह०/–

**सरकार के उप सचिव**
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

**ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–37/2021** **पटना, दिनांक.........................**

**प्रतिलिपि :–** प्रभारी पदाधिकारी (वि०वै०दा०नि०को०), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

**सरकार के उप सचिव,**
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

**ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–37/2021** **पटना, दिनांक.........................**

**प्रतिलिपि :–** महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

**सरकार के उप सचिव,**
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

**ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–37/2021** **पटना, दिनांक.........................**

**प्रतिलिपि :–**प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–

**सरकार के उप सचिव,**
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–37/2021 पटना, दिनांक..........................

**प्रतिलिपि :–** अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय/अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2/3/6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री राजेन्द्र मांझी, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पत्राचार का पता–इन्द्रपुरी, हाऊस नं०–21, शिव मंदिर रोड–9A, पो०–केशरीनगर, जिला–पटना, पिन कोड–800024** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–37/2021 पटना, दिनांक..........................

**प्रतिलिपि** :– उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–37/2021 4264(S) पटना, दिनांक 22/6/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभाचगीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।